17/11/2024

–प्रकरण प्रस्तुत।
–प्रकरण का अवलोकन किया।
–आवेदक अधिष्ठाता ''स्व. बिसाहू दास मंहत'' स्मति चिकित्सा महाविद्यालय कोरबा के पत्र कमांक/शा.चि.म.को./स्था./2025/4218 कोरबा, दिनांक–24/10/2025 के अनुसार ''स्व. बिसाहू दास महंत'' स्मति चिकित्सा महाविद्यालय कोरबा के निर्माणाधीन नवीन शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय कोरबा हेतु ग्राम– भुलसीडीह स्थित ख.नं. – 01, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 109, 112, 113, 114, 115, 117, 118, 120, 122, 125, 126, 127, 131, 136, 138, 139, 143, 145, 148, 150, 152, 153, 166, 168, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 212, 213, 639, 640, 641, 645, 646 कुल ख.नं.– 51, कुल रकबा 50.280 हे./124.24 एकड़ भूमि को आबंटित किया गया है, जिस पर सड़क एवं विभिन्ना भवनों का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न प्रजाति के 50 नग वृक्षों को काटने की अनुमति चाही गई है।
–प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। राजस्व विभाग से स्थल निरीक्षण/संयुक्त जॉच प्रतिवेदन निर्धारित प्ररूप–घ में निरीक्षण प्रतिवेदन लिया गया। संयुक्त स्थल निरीक्षण दिनांक 24/10/2025 को प्राप्त हुई, जिसमें निरीक्षण प्रतिवेदन प्ररूप –घ के अनुसार कुल –72 नग वृक्ष, जिसमें विभिन्न प्रजाति के वृक्षों की संख्या कुल – 72 नग है। कुल 72 नग वृक्ष को मौके में पाया गया जो प्ररूप –घ में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्राप्त हुई है।
–छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 11 फरवरी 2022 अधिसूचना अनुसार छ0ग0भू0रा0संहिता 1959 की धारा 258 की उप–धारा (2) के खण्ड(इकसठ) तथा (बासठ) सहपठित धारा 240 एवं 241 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा वृक्षों की कटाई की अनुमति अनुविभागीय अधिकारी(रा0) कोरबा को प्रदत्त की गई है।
–छ0ग0भू0राजस्व संहिता की धारा 1959 की धारा 240 अंतर्गत वृक्षों को काटे जाने का प्रतिषेध या विनियमन संबंधी नियम की कंडिका 1 में वृक्षों की कटाई पर प्रतिबंध होने की स्थिति निम्नांकित है:–
(क) किसी जलधारा, झरने अथवा तालाब के किनारे के अंतिम किनारे से 30 मीटर के अंदर,
(ख) किसी रास्ता अथवा बैलगाड़ी के रास्ते के बीच से 15 मीटर के अंदर एवं किसी पगडंडी से 6 मीटर के अंदर,
(ग) किसी पवित्र स्थान से 30 मीटर की क्षेत्र में सम्मिलित किसी उपवन में,
(घ) वन महोत्सव कार्यक्रम या उसके समान किसी अन्य योजना के अंतर्गत वृक्षों की प्रजातियों के वृक्षारोपण के क्षेत्र में अथवा
(ड.) पड़ाव, कब्रस्तान अथवा श्मशान स्थल,गोठान, खलिहान, बाजार अथवा

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
कोरबा, जिला-कोरबा (छ.ग.)

आबादी हेतु अलग किए गए किसी क्षेत्र में, अथवा

(च) पहाड़ी एवं 25 डिग्री से ज्यादा ढलान वाले उपर– नीचे क्षेत्र पर, न तो काटा जाएगा, न गिराया जाएगा, न उसका तना छील कर घेरा जाएगा एवं न ही उसे अन्यथा क्षति पहुंचाया जाएगा।

– आवेदित वृक्षों की कटाई पर उपरोक्त वर्णित परिस्थितियॉ लागू नहीं होना पाया गया।

नियम की कंडिका 2 (सात) ऐसे पेड़ जिनका लोकहित में काटा जाना जरूरी हो गया हो, पर वृक्ष कटाई की अनुमति दिये जाने का प्रावधान है।

– उपरोक्त वृक्षों को छ0ग0भू0रा0सं0 की धारा 240 के अंतर्गत बने नियम 2 (सात) एवं नियम 10 के प्रावधानों के तहत एवं छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 11 फरवरी 2022 अधिसूचना अनुसार एक कलेण्डर वर्ष में एक खाते पर 04 वृक्ष प्रति एकड़ के मान से अधिकतम कुल 10 वृक्षों के कटाई की अनुशंसा की जा सकेगी उल्लेखित है।

– छत्तीसगढ़ वनउपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969(क्र. 9 सन् 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम, 1927(1927 का 16) के अतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ परिवहन(वन उपज) नियम, 2001 का पालन नहीं किए जाने पर यह अनुमति शून्य होगी।

– वृक्ष कटाई के नियत 2022 के नियम 7 (प्राकृतिक रूप से उगे हुए वृक्षों की कटाई) के उपनियम (4) तथ नियम 8 (रोपित वृक्षों की कटाई) के उपनियम (2) में 90 प्रतिशत राशि भुगतान के पश्चात् वृक्षारोपण हेतु उपयोग किये जाने वाली शेष 10 प्रतिशत राशि वन विभाग के निर्धारित खाते में जमा करने का प्रवधान है। 10 प्रतिशत राशि वन विभाग के निर्धारित खाते में जमा किये जाने के शर्त पर लोकहित में कुल–72 नग वृक्ष की विदोहन की अनुमति दी जाती है।

– उपरोक्तानुसार पालन करने की स्थिति में कुल 72 नग वृक्ष की विदोहन की अनुमति दी जाती है।

– यह अनुमति आवेदन दिनांक से एक कलेण्डर वर्ष तक मान्य रहेगी।

–संबंधितों को अनुमति की प्रति प्रेषित की जावे। तत्पश्चात् प्रकरण नस्तीबद्ध कर दाखिल दफ्तर हो।

अनुविभागीय अधिकारी (रा0)
कोरबा, जिला कोरबा

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
कोरबा, जिला कोरबा (छ.ग.)

2956
18/11/2025

(नियम 7(2) देखिये)

अनुमति

प्रति,

अधिष्ठाता स्व. बिसाहू दास मंहत,
निवासी– कोरबा, प.ह.नं.–
तहसील व जिला.–कोरबा,

विषयः– प्राकृतिक रूप से उगे 72 नग वृक्षों को काटने की अनुमति बाबत्।

––00––

आवेदक अधिष्ठाता "स्व. बिसाहू दास मंहत" स्मति चिकित्सा महाविद्यालय कोरबा के पत्र कमांक/शा.चि.म.को./स्था./2025/4218 कोरबा, दिनांक–24/10/2025 के अनुसार "स्व. बिसाहू दास महंत" स्मति चिकित्सा महाविद्यालय कोरबा के निर्माणाधीन नवीन शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय कोरबा हेतु ग्राम– भुलसीडीह स्थित ख.नं. – 01, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 109, 112, 113, 114, 115, 117, 118, 120, 122, 125, 126, 127, 131, 136, 138, 139, 143, 145, 148, 150, 152, 153, 166, 168, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 212, 213, 639, 640, 641, 645, 646 कुल ख.नं.– 51, कुल रकबा 50.280 हे./124.24 एकड़ भूमि को आबंटित किया गया है, जिस पर सड़क एवं विभिन्ना भवनों का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न प्रजाति के 50 नग वृक्षों को काटने की अनुमति चाही गई है

प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। राजस्व विभाग से स्थल निरीक्षण/संयुक्त जॉच प्रतिवेदन निर्धारित प्ररूप–घ में निरीक्षण प्रतिवेदन लिया गया। संयुक्त स्थल निरीक्षण दिनांक 24/10/2025 को प्राप्त हुई, जिसमें निरीक्षण प्रतिवेदन प्ररूप –घ के अनुसार कुल –72 नग वृक्ष, जिसमें विभिन्न प्रजाति के वृक्षों की संख्या कुल – 72 नग है। कुल 72 नग वृक्ष को मौके में पाया गया जो प्ररूप –घ में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्राप्त हुई है।

छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित, दिनांक 6 जुलाई 2023 संशोधन के अंतर्गत नियम 5 के पश्चात् "नियम 5–क, किसी शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय परियोजना के लिए, भूमि के अर्जन करने अथवा भूमि के उपयोग का अधिकार अर्जित करने की दशा में, अपेक्षक निकाय, अर्जन के अधीन भूमि पर अवस्थित वृक्षों के प्रतिकर का भुगतान भूमिस्वामी को करने के पश्चात्, अर्जन के प्रयोजन के अनुसार वृक्षों की न्यूनतम आवश्यक संख्या में, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को सूचना देकर, कटाई कर सकेगा अथवा वन विभाग द्वारा वृक्षों की कटाई करवा सकेगा।
नियम–5 ख, किसी शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय परियोजना/योजना के लिए, आबंटित विभाग/निकाय/संस्था, आबंटित भूमि पर अवस्थित वृक्षों की न्यूनतम आवश्यक संख्या में, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को सूचना देकर, कटाई कर सकेगा अथवा वन विभाग द्वारा वृक्षों की कटाई करवा सकेगा।"

छत्तीसगढ़ वनउपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969(क. 9 सन् 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम, 1927(1927 का 16) के अतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ परिवहन(वन उपज) नियम, 2001 का पालन नहीं किए जाने पर यह अनुमति शून्य होगी।

वृक्ष कटाई के नियत 2022 के नियम 7 (प्राकृतिक रूप से उगे हुए वृक्षों की कटाई) के उपनियम (4) तथ नियम 8 (रोपित वृक्षों की कटाई) के उपनियम (2) में 90 प्रतिशत राशि भुगतान के पश्चात् वृक्षारोपण हेतु उपयोग किये जाने वाली शेष 10 प्रतिशत राशि वन विभाग के निर्धारित खाते में जमा करने का प्रवधान है। 10 प्रतिशत राशि वन विभाग के निर्धारित खाते में जमा किये जाने के शर्त पर लोकहित में कुल–72 नग वृक्ष की विदोहन की अनुमति दी जाती है।

उपरोक्तानुसार पालन करने की स्थिति में कुल 72 नग वृक्ष की विदोहन की अनुमति दी जाती है।

यह अनुमति आवेदन दिनांक से एक कलेण्डर वर्ष तक मान्य रहेगी।

अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व)
कोरबा, जिला कोरबा (छ.ग.)

पृ.क्र. 2957 /अ.वि.अ./वाचक/2025 कोरबा, दिनांक 18 /11/2025

प्रतिलिपिः–

1. कलेक्टर जिला–कोरबा।
2. वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल–कोरबा को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. तहसीलदार –कोरबा को वृक्ष कटाई पश्चात् राजस्व अभिलेख अद्यतन करने हेतु।

अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व)
अनुविभाग–कोरबा

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
कोरबा, जिला-कोरबा (छ.ग.)